पत्र संख्या -संग्रह -रिकवरी इन्ट्री मोड-2015-16 / 250,/1516027 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संग्रह अनुभाग)

दिनांक // लखनऊ// 30 जुलाई 2015

समस्त कर निर्धारण अधिकारी,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या -1218 वाणिज्य कर, दिनांक 28-12-12 का संदर्भ ग्रहण करें, जिससे विभाग में सृजित मॉग के सापेक्ष विभागीय साफ्टवेयर में आर0सी0मॉड्यूल से ऑनलाइन वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा वर्तमान में दिनांक 01-04-2013 से सभी वसूली प्रमाण पत्र विभागीय साफ्टवेयर पर ऑनलाइन जारी किये जा रहे हैं । उक्त वसूली प्रमाण पत्रों की समीक्षा पर यह पाया गया कि कतिपय स्थानों पर आर0सी0 जारी करते समय फर्म का नाम एवं धनराशि की प्रविष्टियों में त्रुटियॉ की गयी हैं । उक्त त्रुटिपूर्ण वसूली प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए, नियमानुसार संशोधित वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है । वर्तमान में सृजित मॉग के सापेक्ष वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् एकपक्षीय रुप से पारित कर निर्धारण आदेशों को पुन: कर निर्धारण हेतु खोले जाने, अपीलीय अधिकारियों द्वारा स्थगन किये जाने, समायोजन, बुक ट्रॉन्सफर, व्यापारी द्वारा मॉग के सापेक्ष आंशिक धनराशि जमा करने की स्थिति में वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन/वापसी हेतु कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा एस0टी0 45 प्रपत्र जारी किया जाता है । उक्त सभी तथ्यों को समाहित करते हुए, संशोधित एस0टी045 का प्रारुप नियत किया गया है । उक्त एस0टी0 45 का नाम बदल कर अब " **वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन / निरस्तीकरण एवं वापसी का प्रारुप**"-नाम कर दिया गया है । साथ ही उक्त प्रपत्र को अब दिनांक 01-08-2015 से ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था विभागीय आर0सी0 मॉड्यूल में कर दिया गया है, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है :-

1- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने Secured Login से VYAS Central Software पर Login किया जायेगा । Login करने के पश्चात् R.C. and Assessment Module में Recovery Module के Link पर Click किया जायेगा । Recovery Module Link में Edit and Verify amendment in R.C. के Submenu Link पर Click किया जायेगा । इसके पश्चात् Edit and verify amendment in R.C. Link पर Click करने पर उपलब्ध Screen में कार्यालय तथा कर निर्धारण वर्ष का चयन Dropdown से किया जायेगा । जिस आर0सी0 नं0 में परिवर्तन की जानी है,उसका चयन Dropdown से किया जायेगा । संबंधित आर0सी0 नम्बर का चयन करके Submit करने पर " **वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन / निरस्तीकरण एवं वापसी का प्रारुप** " का प्रारुप उपलब्ध हो जायेगा ।

2- **वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन / निरस्तीकरण एवं वापसी का प्रारुप**" से संबंधित छ: (06)कारणों में से उपयुक्त कारण के सम्मुख स्थित Checkbox पर Tick करके संबंधित विवरणों को अंकित किया जायेगा । संशोधन प्रपत्र में एक से अधिक कारणों के सम्मुख स्थित Checkbox पर Tick करके चयन किया जा सकता है । संशोधन/निरस्तीकरण एवं वापसी के प्रपत्र में मूल वसूली प्रमाण पत्र सं0 तथा दिनांक एवं अवशेष धनराशि का अंकन किया जाना अनिवार्य है । उक्त समस्त विवरणों का अंकन करके Update Amended R.C. पर Click करके Data Save किया

जायेगा। संशोधन /निरस्तीकरण एवं वापसी के प्रपत्र को Verify करने के पूर्व इस प्रारुप मे कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। समस्त अंकित विवरण को Check करने के उपरान्त Verify Amended R.C. पर Click करके संशोधित प्रारुप को Verify किया जायेगा तथा Print Preview पर Click करके संशोधित प्रमाण पत्र का Previewकिया जा सकता है। संशोधन /निरस्तीकरण एवं वापसी के प्रपत्र का Print / Reprint के लिए Submenu में उपलब्ध Print Amendment in R.C पर Click करके Print दो प्रतियों में निकाला जायेगा ।उक्त **वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन / निरस्तीकरण एवं वापसी का प्रारुप"** के प्रिंट की एक प्रति संबंधित व्यापारी की पत्रावली में रखी जाएगी तथा दूसरी प्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी /अमीन को प्रेषित कर दी जाएगी।

अत: ऊपर अंकित प्रक्रिया के अनुसार वसूली प्रमाण पत्रों में अपेक्षित संशोधन किया जा सकेगा तथा समस्त कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा दिनांक 01-08-2015 के पश्चात् जारी किये जाने वाले समस्त " **वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन / निरस्तीकरण एवं वापसी का प्रारुप"** प्रपत्र को विभागीय साफ्टवेयर पर आर0सी0 माड्यूल के अन्तर्गत जाकर ऑनलाइन जारी करते हुए, वसूली प्रमाण पत्रों के संबंध में यथावश्यकता उपर्युक्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

22/07/15

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश से अपेक्षा की जाती है कि अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराते हुए, कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्पोरेट)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन में सहयोग करने हेतु प्रेषित।
5- समस्त विभागीय वसूली के जनपद में कार्यरत कर निर्धारण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी0 राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्रीपाल

वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन/निरस्तीकरण एवं वापसी का प्रारुप

प्रेषक,

कर निर्धारण अधिकारी, वाणिज्य कर,
खण्ड .....
सम्भाग---------- जोन ----------

सेवा में,

कलैक्टर

संख्या दिनांक

महोदय,

इस कार्यालय के वसूली प्रमाण पत्र संख्या ----------दिनांक ----------जो कि रु0 ----------की वसूली से संबंधित है, के सन्दर्भ में मुझे यह अनुरोध करना है -

1- यह कि वसूली प्रमाण पत्र में मानवीय या तकनीकी त्रुटिवश ---------- -------का कॉलम गलत अंकित होने के कारण उक्त वसूली प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है तथा नियमानुसार संशोधित वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

2- यह कि वसूली प्रमाण पत्र से सम्बन्धित रु0----------को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश संख्या ----------दिनांक ----------अन्तर्गत स्थगित कर दिया गया है । स्थगन आदेश की शर्तें ----------हैं।

3- यह कि उक्त बकायेदार द्वारा रु0 ----------का भुगतान कर दिया गया है।

4- यह कि अपील/रिवीजन द्वारा /या उसके फलस्वरुप अंतिम कर निर्धारण में मॉग रु0 ---------- कम कर दी गयी है।

5- यह कि उक्त बकायेदार को भुगतान की जाने वाली धनराशि में से रु0---------- का समयोजन इस वसूली प्रमाण पत्र के सापेक्ष कर लिया गया है।

6- यह कि बकायेदार के द्वारा अपने खाते से रु0 ----------का भुगतान बुक ट्रॉन्सफर के माध्यम से राजकोष में कर दिया गया है।

अतएव मैं अनुरोध करता हूँ कि -

1- उक्त वसूली प्रमाण पत्र की वसूली दिनांक ----------तक स्थगित कर दी जाये/या बिना वसूली किये उक्त वसूली प्रमाण पत्र इस कार्यालय को वापस कर दी जाये।

2- उपर्युक्तानुसार भुगतान, बुक ट्रॉन्सफर एवं समायोजन अथवा मॉग में की गयी कमी के दृष्टिगत उक्त वसूली प्रमाण पत्र को संशोधित रुप में मानकर केवल अवशेष रु0 ---------- की ब्याज सहित यथाशीघ्र वसूली की जाये।

भवदीय,

(कर निर्धारण अधिकारी)

* जो उपयुक्त न हो उसे काट दिया जाये।

मा० कमिश्नर द्वारा अनुमोदित